भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 311

उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2021 (बुधवार)

14 माघ, 1942 (शक)

प्रश्न

बांस/बेंत हतु प्रशिक्षण केंद्र

311. सुश्री प्रतिमा भौमिक:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत और विदेश में बेंत और बांस के पूर्ण दोहन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन हेतु और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो नए केंद्रों के राज्य-वार ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने बांस के तैयार उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और कच्चे बांस के मदों पर आयात शुल्क को 25 प्रतिशत बढ़ाया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू बांस पर इसका क्या प्रभाव होगा?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय बांस मिशन ने तीन मौजूदा संस्थानों (i) उत्तर पूर्व बेंत और बांस विकास परिषद (एनईसीबीडीसी), गुवाहाटी, (ii) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून और (iii) केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), पीची, केरल की पहचान की है, और एनईसीबीडीसी ने निम्नलिखित पांच संस्थानों की स्थापना की है जो बेंत और बांस क्षेत्रों में कौशल विकास प्रदान करते हैः-

(i) प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र, उखरूल, मणिपुर
(ii) बांस प्रौद्योगिकी पार्क, जोटे, अरुणाचल प्रदेश
(iii)मणिपुर के तमेंगलोंग में एकीकृत बेंत और बांस विकास परियोजना
(iv)मिजोरम के सियारंग, आइजवाल में इनक्यूबेशन सेंटर
(v) हाई-बेरमिओक, बर्थांग, सिक्किम में इनक्यूबेशन सेंटर।

फिलहाल और अधिक केंद्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) सरकार ने घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगरबत्ती के निर्माण में उपयोग हेतु बांस पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने तैयार बांस उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

****